संख्या-265/2026/702/26-27-सिं0-4-CN-2041202

प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,**
   नगर विकास विभाग,
   उ0प्र0 शासन।

2. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,**
   आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
   उ0प्र0, शासन।

3. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,**
   राजस्व विभाग,
   उ0प्र0 शासन।

4. **प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,**
   सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
   उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 30-04-2026

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं0-515/2023, गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 के अनुपालन में मंदाकिनी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ० ए० सं0-515/2023, गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-324/मु०अ०(ज०सं०)/अनिमं-1/अनिख-3, दिनांक 06.04.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मंदाकिनी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण एवं सीमाकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं0-515/2023, गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मंदाकिनी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण एवं सीमांकन किये जाने हेतु आदेश दिए गए है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 19.05.2025 को पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है:-

" **1. In these original applications, Tribunal at this stage is considering the issue of demarcation of flood plain zone of river Ganga and its tributaries.**

2. Tribunal by order dated 23.04.2025 had considered the affidavit of Chief Engineer, Sone, Irrigation and Water Resource Department, State of UP dated 19.04.2025 disclosing the steps taken to demarcate the flood plain zone in

https://shasanadesh.up.gov.in/

reference to 1:100 years highest flood level with 01 meter contour and had found that no time bound programme in phase manner 4 for completion of this exercise was disclosed. Accordingly, matter was adjourned to place on record the said time bound plan.

3. Chief Engineer, Sone, Irrigation and Water Resource, State of UP has filed fresh affidavit dated 16.05.2025 disclosing as under:

> "5. That the stretch of River Ganga traversing through the State of Uttar Pradesh, from the district of Unnao to the district of Ballia, covers an approximate distance of 700kilometres. The Physical demarcation of the floodplain zone along this stretch shall be carried out through the process of Pillar Fixation. It is submitted that this stretch of the river passes through a total of thirteen districts, namely: Kanpur, Unnao, Fatehpur, Raebareli, Kaushambi, Pratapgarh, Prayagraj, Mirzapur, Bhadohi, Varanasi, Chandauli, Ghazipur, and Ballia. The Pillar Fixation (7350 Pillars in words Seven Thousand Three Hundred Fifty) shall be undertaken along the entire course of River Ganga within the territorial limits of the of the State of Uttar Pradesh, in strict compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal.
>
> 6. It is respectfully submitted that a time-bound programme, structured in a phased manner, has been convenience of this Hon'ble Tribunal to facilitate the GOVTO EU completion of the proposed exercise. The said timeline has been presented in a tabular format titled "Work Programme of Pillar Fixation under O.A. No. 515/2023". As per the said time-bound programme. True copy of the "Work Programme of Pillar Fixation under O.A. No.-515/2023"has been annexed herein as ANNEXURE R1."

4. Learned Counsel for State of UP submits that he will file further affidavit in respect of steps which have been taken for demarcation of flood plain zone of tributaries of river Ganga in the State of UP. In this regard, he has prayed for six weeks' time.....

.....48. The Allahabad High Court by order dated 22.04.2011 has restricted construction by Allahabad Development Authority or by any private builder within 500 meters of the highest flood level of river Ganges in the city of Allahabad as well as part of the river Yamuna adjoining the river Ganges, i.e.,

https://shasanadesh.up.gov.in/

Sangam. There is no prayer in the IA for seeking vacation of the interim order passed by the division bench of the High Court of Allahabad.

49. In view of the admitted position in the IA that the proposed construction is within 500 meters of the Highest Flood Line, Counsel for the applicant is required to clarify how the prayer made in the IA can be granted....."

3- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 के अनुपालन में कार्यालय, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार मंदाकिनी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपद में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना हैः-

क्रमांक	**जनपद**	**Latitude & Longitude**
1.	चित्रकूट	Annexure-1

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ० ए० सं0-515/2023, गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 के अनुपालन में मंदाकिनी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु जनपद चित्रकूट में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) (प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में एन.एम.सी.जी., मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा० न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगे।

5- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।

https://shasanadesh.up.gov.in/

7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/ मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/ नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. मुख्य अभियंता (बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० झांसी।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in/